कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या – 272/2022

निर्णय दिनांक :–29.04.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

कमलेश शर्मा पत्नी वेदप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र वालिग निवासी प्लाट नम्वर 30, जयकिशन कॉलोनी, लक्ष्मीमंदिर फाटक के पास जयपुर जिला जयपुर राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय, तहसील दूनी जिला–टोंक राज. **–अप्रार्थी–**

उपस्थितः–

श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता प्रार्थीया

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत पत्थर गढ़ी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 148 रकबा 1.45 है0, खसरा नम्बर 366/147 रकबा 2.50 है0, खसरा नम्बर 375/147 रकबा 1.25 है0 कुल किता–3, कुल रकबा 5.20 है0 वाके ग्राम भरना पटवार हल्का गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे स्थित है। प्रार्थीया ने पूर्व मे उक्त भूमि की नाप चोप करवायी थी जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। जिसके कारण मोके पर प्रार्थीया एवं अड़ोस पड़ोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थीया की उक्त आराजी भूमि वावत भविष्य मे उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी नही करवायी गयी तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढेगी। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नही है। प्रार्थीया नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क जमा कराने को तैयार है। आराजी भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय

न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 148 रकबा 1.45 है0, खसरा नम्बर 366/147 रकवा 2.50 है0, खसरा नम्वर 375/147 रकबा 1.25 है0 कुल किता–3, कुल रकबा 5.20 है0 वाके ग्राम भरना पटवार हल्का गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 की पत्थरगढी किये जाने हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय, दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की ओर से जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:–खसरा नंबर 148 रकबा 1.45 है0 ख. नंबर 366/147 रकबा 2.50 है0, ख. नंबर 325/147 रकबा 1.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.20 है0 आवेदक की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है मुताबिक पूछताछ मौका रिपोर्ट के ख. नं. 148 व ख. नं. 366 पर मौके पर आंशिक रूप से पड़ोसी खातेदार का कब्जा पाया गया है एवं ख. नं. नंबर 375/147 रकबा 1.25 है0 पर पड़ोसी खातेदार का पूर्ण/संपूर्ण आराजी पर कब्जा है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदार से सीमा विवाद हो सकता है। आवेदक का जिन से विवाद है, पड़ोसी खानदान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। पड़ोसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है ताकि मौके पर पत्थरगढी के समय कोई विवाद नहीं हो। उक्त आराजी के संबंध में मुताबिक जमाबंदी किसी प्रकार का स्थगन नहीं है। आवेदक द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान होना बताया है।

बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार ने बहस में जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम भरना तहसील दूनी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है परन्तु विवादित आराजी में ख. नं. 375/147 पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त नही है। ख. नं. 148 व ख. नं. 366/147 प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि होने से ख. नं. 148 व ख. नं. 366/147 के लिए प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2072–75 भूमि खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 148 रकबा 1.45 है0, खसरा नम्बर

366 / 147 रकबा 2.50 है0, वाके ग्राम भरना पटवार हल्का गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक की आराजी की विधिवत पत्थरगढी प्रार्थी का कब्जा होने पर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर, प्रार्थीगण व अन्य गवाहान की उपस्थिति में की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 29.04.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली